न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–3/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) रामपुर।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–11/2024
रजिस्ट्रेशन नं०–510/2024

UPRP010019102024

राज्य-----------प्रति----------- अनवार हुसैन आदि ।

मु०अ०सं०–26/2023
धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट
थाना–कोतवाली, जिला–रामपुर।

दिनांक 26–03–2026

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 15ख, 16ख, 17ख, 19ख, 20ख, 21ख, 22ख व 25ख पेश हुई। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 15ख, 16ख, 17ख, 19ख, 20ख, 21ख, 22ख व 25ख

अभियुक्त तालिब खाँ की ओर से प्रार्थना पत्र मय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528बी०एन०एस०एस० संख्या–21071/2025 में पारित आदेश दिनांकित 23–07–2025 व 01–08–2025 कागज सं०– 15ख/1 ता 15ख/10, अभियुक्त सालिम की ओर से प्रार्थना पत्र मय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528बी०एन०एस०एस० संख्या–28298/2025 में पारित आदेश दिनांकित 13–08–2025 कागज सं०– 16ख/1 ता 16ख/7, अभियुक्त अनवार हुसैन की ओर से प्रार्थना पत्र मय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528बी०एन०एस०एस० संख्या–28420/2025 में पारित आदेश दिनांकित 13–08–2025 कागज सं०– 17ख/1 ता 17ख/7, अभियुक्त प्रदीप कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र मय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 बी०एन०एस०एस० संख्या–29138/2025 में पारित आदेश दिनांकित 11–08–2025 कागज सं०– 21ख/1 ता 21ख/6 तथा अभियुक्त अजहर अहमद खाँ की ओर से प्रार्थना पत्र मय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528बी०एन०एस०एस० संख्या–48381/2025 में पारित आदेश दिनांकित 06–02–2026 कागज सं०– 25ख/1 ता 25ख/8 दाखिल कर कथन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में मामले की कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को कम्प्यूटर अनुभाग से सत्यापित कराया गया।

सुना एवं पत्रावली तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त आदेशों का ससम्मान अवलोकन किया।

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.04.04 16:44:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेशों में अभियुक्तगण अनवार हुसैन, सालिम, तालिब खाँ, प्रदीप कुमार एवं अजहर खाँ की विशेष सत्र परीक्षण संख्या–11/2024 (राज्य बनाम अनवार हुसैन आदि), मु०अ०सं०–26/2023, अन्तर्गत धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जिला रामपुर में पारित संज्ञान आदेश दिनांकित 09–02–2024 को निरस्त कर मामले की कार्यवाही रद्द (quash) की गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेशों में यह भी उल्लिखित किया गया है कि "However, the above mentioned order will not preclude the concerned authorities for re–initiation of the proceedings against applicants, if required in future, in accordance with law.”

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों दिनांकित 23–07–2025 व 01–08–2025, 13–08–2025, 11–08–2025 एवं 06–02–2026 द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या–11/2024 (राज्य बनाम अनवार हुसैन आदि), मु०अ०सं०–26/2023, अन्तर्गत धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जिला रामपुर में पारित संज्ञान आदेश दिनांकित 09–02–2024 को निरस्त कर अभियुक्तगण **अनवार हुसैन, सालिम, तालिब खाँ, प्रदीप कुमार एवं अजहर खाँ** के विरूद्ध मामले की कार्यवाही रद्द (quash) की जा चुकी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रार्थना पत्र 19 ख, 20 ख व 22 ख पत्रावली पृथक किये जाने के आशय के प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका अब कोई औचित्य नहीं रहा है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 15 ख, 16 ख, 17 ख, 19 ख, 20 ख, 21 ख, 22 ख व 25 ख निस्तारित किये जाते हैं।

आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(अशोक कुमार सिंह–X)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–3/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), रामपुर।
J.O. Code–UP 2741
26–03–2026